भारतीय कानून रिपोर्ट

चुनाव याचिका

माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला के समक्ष

पन्ना उर्फ पन्ना लाल सिंगल-याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्तियार सिंह,-प्रतिवादी

1971 की चुनाव याचिका संख्या 6

29 जुलाई 1971.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का XLIII) - धारा 80, 81, 86 और 11 भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 329 - उसमें उल्लिखित अनुबंधों के बिना उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दाखिल करना - क्या मतलब के भीतर उचित प्रस्तुति है धारा 81-चुनाव याचिका के अनुलग्नक जिसमें कथित भ्रष्टाचार प्रथाओं का विवरण शामिल है क्या याचिका का आवश्यक हिस्सा है - सुरक्षा जमा करने की रसीद - क्या यह आवश्यक भाग है - धारा 81(3) के तहत पूरी प्रतियों के बिना चुनाव याचिका दायर की गई है - क्या धारा 86 से प्रभावित-धारा 81(3) के प्रावधान-क्या धारा 81(3) की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया न्यायालय-क्या डिफ़ॉल्ट को माफ करने का विवेक है।

यह निर्णय लिया गया कि केवल यह तथ्य कि एक दस्तावेज या कागज जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर चुनावी याचिका के साथ संलग्न है, जरूरी नहीं है कि यह सभी मामलों में ऐसी याचिका का हिस्सा बन जाए। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि अनुलग्नक की कमी से चुनाव याचिका अधूरी रह जाती है या नहीं। जहां चुनाव याचिका के साथ दायर किए गए अनुलग्नकों में याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण शामिल होने का तात्पर्य है, वे चुनाव याचिका का आवश्यक हिस्सा बनते हैं। हालाँकि, सुरक्षा जमा की रसीद के संबंध में ऐसा नहीं है। अधिनियम की धारा 117 में केवल यह अपेक्षित है कि रु. चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय याचिका की लागत के लिए सुरक्षा के रूप में 2,000 रुपये जमा किए जाने चाहिए। याचिका के साथ जमा राशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है। रसीद में जो कहा गया है वह सीधे तौर पर चुनाव याचिका के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए, सुरक्षा जमा करने की रसीद चुनाव याचिका का आवश्यक हिस्सा नहीं बनती है। कोई भी दस्तावेज़ या कागज जिसके बिना मूल याचिका अधूरी मानी

जाएगी, उसे आवश्यक रूप से उस याचिका की प्रति का हिस्सा होना चाहिए जिसे अधिनियम की धारा 81(3) के तहत प्रतिवादी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार धारा 81(3) द्वारा याचिकाकर्ता पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह प्रतिवादी के लिए चुनाव याचिका की एक पूरी प्रति दाखिल करे जिसमें उन अनुलग्नकों की प्रतियां भी शामिल हों जो चुनाव याचिका का आवश्यक हिस्सा हैं। (पैरा 7)

अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की धारा 81(3) के अनुसार प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न की जाएंगी जितनी याचिका में उत्तरदाताओं का उल्लेख है और धारा 86(1) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो ऐसा करती है। धारा 81 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना। कानून के किसी विशेष प्रावधान या उसके किसी भाग की निर्देशिका या अनिवार्य प्रकृति (1) प्रावधान या उसके संबंधित भाग के उद्देश्य और उद्देश्य पर निर्भर करती है और (यू) वैधानिक प्रभाव पर निर्भर करती है। उसका अनुपालन न करना। चुनाव याचिका की पूरी प्रति प्रदान करने का उद्देश्य याचिका के संबंध में अदालत के समक्ष उपलब्ध संपूर्ण प्रासंगिक सामग्री को प्रतिवादी के हाथों में रखना है ताकि वह प्रभावी ढंग से इसका उत्तर दे सके। गैर-अनुपालन का प्रभाव धारा 86 में दिया गया है, जिसके प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि धारा 81 के अनुपालन का उद्देश्य याचिका की वैधता और रखरखाव को नियंत्रित करना था। इन दोनों बिन्दुओं से मामले पर विचार करते हुए धारा 81(3) की सुसंगत आवश्यकता अनिवार्य है। एक अनिवार्य प्रावधान या वैधानिक प्रावधान का एक अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल पूरा किया जाना चाहिए और उसके पर्याप्त अनुपालन का सवाल ही नहीं उठता। धारा 81(3) द्वारा आवश्यक पूर्ण प्रतियों के बिना दायर की गई चुनाव याचिका स्वयं एक पूर्ण याचिका नहीं होगी और इसलिए, धारा 86 से प्रभावित होगी।

(पारा १३)

निर्णय लिया गया कि अधिनियम की धारा 80 और 86 और संविधान के अनुच्छेद 329 की भाषा और योजना से, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि यदि धारा 81(3) की उन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है जो अनिवार्य हैं इस मामले में, न्यायालय के पास इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है और वह चूक को माफ नहीं कर सकता, लेकिन याचिका को खारिज कर देना चाहिए।

(पारा १८)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग IV, अध्याय II, धारा 80, 81 और 101 के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी का चुनाव शून्य घोषित किया जाए; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(बी) के तहत चुनाव को रद्द करने के बाद क्योंकि प्रतिवादी द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एन सी जैन।

एस. सी. आईगोयल, और जे. एस. मलिक, प्रतिवादी के वकील।

नरूला, जे-

(1) असफल उम्मीदवार पन्ना लाल सिंगल की इस याचिका में, मार्च, 1971 में हुए आम चुनाव में प्रतिवादी मुख्तियार सिंह (रोहतक संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में लौटे उम्मीदवार) के चुनाव को रद्द घोषित करने के लिए , कुछ भ्रष्ट आचरण के कमीशन के आरोप पर), प्रतिवादी के लिखित में निम्नलिखित दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाई गईं कथन:

(1) याचिका इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है कि याचिकाकर्ता, प्रतिवादी को याचिका के अनुलग्नकों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है। यह दोष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 81 के अर्थ में याचिका की प्रस्तुति का दोष है, और इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भी आवश्यक है; और

(2) याचिका इस आधार पर खारिज करने योग्य है कि याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।

(2) मेरे आदेश, दिनांक 27 मई, 1971 द्वारा, मैंने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के वकील को उसकी अग्रिम प्रति देने के बाद उस दिन से चार सप्ताह के भीतर कथित भ्रष्ट आचरण का बेहतर विवरण दाखिल करने की अनुमति दी, जो अपना सह दाखिल कर सकता है। अग्रिम प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर बेहतर विवरण के संबंध में आगे लिखित बयान। याचिकाकर्ता ने उसे दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया। इस प्रयोजन के लिए दिया गया समय 25 जून 1971 को समाप्त हो गया, जब न्यायालय ग्रीष्म अवकाश के कारण बंद था। न्यायालय 12 जुलाई, 1971 को फिर से खुला। पुनः खुलने के दिन याचिकाकर्ता द्वारा न तो बेहतर विवरण का कोई बयान और न ही समय के विस्तार के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था। यहां तक कि जब मामला 16 जुलाई 1971 को महाजन, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तब भी न तो कोई बयान दर्ज किया गया, न ही समय बढ़ाने के लिए कोई प्रार्थना की गई। विद्वान न्यायाधीश ने पक्षकारों के वकील के रूप में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई पहली प्रारंभिक आपत्ति से

उत्पन्न प्रारंभिक मुद्दे पर मेरी दलीलों की सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके आधिपत्य के समक्ष प्रतिनिधित्व किया गया था कि उस मुद्दे पर दलीलें मेरे द्वारा पहले ही आंशिक रूप से सुनी जा चुकी हैं। मैं वकील द्वारा किए गए उक्त अभ्यावेदन की सत्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि 27 मई, 1971 को प्रारंभिक मुद्दे की रूपरेखा तैयार होने के बाद से मेरे सामने मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई है। महाजन, जे का आदेश ., 19 जुलाई, 1971 को मेरे संज्ञान में लाया गया था, और मैंने मामले को 21 जुलाई, 1971 को सुनवाई के लिए तय करने का निर्देश दिया था। उस दिन, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एन.सी. जैन ने कुछ हद तक आधा-अधूरा बयान दिया था। दूसरे पक्ष को लागत का भुगतान करने पर मामले को स्थगित करने के लिए मौखिक प्रार्थना, ताकि उसका ग्राहक इसे एकत्र कर सके बेहतर विवरण दाखिल करने और उसे दाखिल करने के लिए सामग्री। श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अब तक आवश्यक कदम नहीं उठा पाया है, क्योंकि वह दिल्ली में कुछ प्रदर्शनों के आयोजन में व्यस्त है, और अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए समय नहीं निकाल सका, जिसे बेहतर के बयान में शामिल किया जाना था। विवरण. मेरी राय में याचिकाकर्ता की ओर से आवश्यक कार्य करने में अत्यधिक देरी के लिए यह कोई वैध आधार नहीं है। अधिनियम की धारा 86(5) इस न्यायालय को याचिका की निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए याचिका में कथित किसी भी भ्रष्ट आचरण के विवरण को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अधिकृत करती है। धारा 86 की उपधारा (6) में कहा गया है कि चुनाव याचिका की सुनवाई, जहां तक संभव हो, सुसंगत रूप से की जाएगी न्याय के हित में, इसके निष्कर्ष तक दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय न हो मुकदमे को अगले दिन के बाद स्थगित करना आवश्यक लगता है। उप-धारा (7) इस न्यायालय को चुनाव याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई करने का कर्तव्य सौंपती है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर उसे बेहतर विवरण दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की अनुमति दी गई थी, क्योंकि यह दर्शाया गया था कि उसे आवश्यक जानकारी एकत्र करने और बेहतर विवरण तैयार करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। चूंकि छुट्टियों के दौरान चार सप्ताह समाप्त हो गए थे, इसलिए वह दोबारा खुलने वाले दिन तक के समय का अधिकतम लाभ उठा सकता था। मेरे द्वारा पहले ही उल्लिखित परिस्थितियों में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस याचिका की सुनवाई को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है, जहां तक बेहतर विवरण द्वारा कवर किए जाने वाले मामलों का संबंध है। याचिकाकर्ता को आमतौर पर याचिका दायर करने से पहले भ्रष्ट आचरण के आरोप के समर्थन में चुनाव याचिका में दी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करनी चाहिए। यदि किसी भी कारण से वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, तो उसे न्याय के हित में 27 मई, 1971 को मेरे द्वारा दिये गये समय का लाभ उठाना चाहिए था। वह उस अवसर का लाभ उठाने में बुरी तरह विफल रहा है। समय के भीतर

आवश्यक कार्य करने में उसकी विफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है। यहां तक कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मौखिक रूप से पेश किया गया बहाना भी किसी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है। देरी का कथित कारण, कम से कम, पूरी तरह से अनुचित है। चुनाव याचिका 26 अप्रैल, 1971 को दायर की गई थी। तब से लगभग तीन महीने बीत चुके हैं। याचिका की सुनवाई आम तौर पर धारा 86 की उप-धारा (71) के अनुसार छह महीने के भीतर समाप्त होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता याचिका के प्रभावी अभियोजन को कोई महत्व नहीं देता है। मैं, इसलिए, याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण को बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता को कोई और समय देने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए समय बढ़ाने की मौखिक प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

(4) वादी द्वारा दबाई गई एकमात्र अन्य प्रारंभिक आपत्ति (प्रतिवादी के लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्ति संख्या 1) ने निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दे को जन्म दिया (27 मई, 1971 को मेरे द्वारा तैयार किया गया) - "क्या याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81(3) द्वारा निर्धारित तरीके से याचिका प्रस्तुत की है; यदि नहीं, तो इसका प्रभाव क्या है?"

(5) डिकोडिंग के लिए तथ्यों की प्रतिक्रिया पर संक्षेप में ध्यान दिया जाना चाहिए। याचिका के पैराग्राफ 4 (ए) में प्रतिवादी पर रुपये का भुगतान करने के भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के आरोप का संदर्भ दिया गया है। एक किदारा रिक्शा चालक को 50, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे प्रतिवादी द्वारा निर्देशित किया गया था मतदान के दिन रिक्शे से जीन्द मतदान केन्द्र तक जाता है। यह में मतदाता ढोना इस उप-पैराग्राफ का दूसरा वाक्य इस प्रकार है: "रिक्शे के साथ रिक्शा पूलर (खींचने वाले) की तस्वीर जिसमें मतदाता बैठे हैं और श्री मुख्तियार सिंह प्रतिवादी का झंडा फहराया जा रहा है, इसके साथ संलग्न है और इसे पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।" इसी प्रकार याचिका के पैराग्राफ 4(बी) में प्रतिवादी द्वारा भुगतान के आधार पर नियोजित किए गए या उनसे कुछ भी शुल्क लिए बिना मतदाताओं को ले जाने वाले चार रिक्शा चालकों के नाम और विवरण की एक सूची देने के बाद, और उनके नाम दिए गए हैं। उन रिक्शों में दो कथित यात्री थे, याचिकाकर्ता ने इस प्रकार कहा है: "याचिकाकर्ता के पास बाकी रिक्शा चालकों और मतदाताओं के नाम देने का अधिकार सुरक्षित है। पी. 1 के अलावा चार अन्य तस्वीरें अनुलग्नक पी. 2 से पी. 5' के रूप में संलग्न हैं।" याचिका का पैराग्राफ 8 इस प्रकार है: याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय में विधिवत रूप से रुपये जमा किए हैं। याचिका की लागत के लिए सुरक्षा के रूप में 2,000 रु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 117(1) के तहत, और इसकी मूल रसीद इसके साथ संलग्न है।" पी. 1 से पी. 5 अंकित पांच तस्वीरें और सुरक्षा जमा राशि की मूल रसीद विधिवत याचिका के साथ संलग्न की गई है। यह दोनों पक्षों का स्वीकृत मामला है कि उपरोक्त किसी भी दस्तावेज (तस्वीरें)

की कोई प्रति नहीं है और रसीद) इस न्यायालय की रजिस्ट्री में याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रतियों के साथ संलग्न या संलग्न थीं। धारा 81 की उप-धारा (3) के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियाँ संलग्न की जाएँ जितनी उत्तरदाताओं द्वारा उल्लेखित हों, याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में अपनी प्रति के तहत सत्यापित किया जाएगा, और ऐसे प्रत्येक स्वयं के हस्ताक्षर को एक होना चाहिए। याचिका की सच्ची प्रति।" प्रतिवादी की आपत्ति यह है कि अनुलग्नकों के बिना याचिका याचिका नहीं है, अनुलग्नकों की प्रतियों के बिना याचिका की एक प्रति को 81 (3) के अर्थ में याचिका की प्रति के रूप में नहीं माना जा सकता है, और जहां तक इस वर्तमान धारा की चुनाव याचिका का उल्लेख उपर्युक्त संबंध में दोषपूर्ण था, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 86 (1) की अनिवार्य आवश्यकताओं के मद्देनजर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य है, जो इस प्रकार है: - "उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है।"

(6) निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा दिया गया है प्रारंभिक मुद्दा तय करें:-

(1) क्या उच्च न्यायालय में उल्लिखित परिशिष्टों के बिना दायर की गई चुनाव याचिका को धारा 81 के अर्थ में उचित रूप से प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है;

(2) क्या मूल याचिका के अनुलग्नकों की प्रतियों के बिना चुनाव याचिका की प्रति धारा 81(3) के अर्थ में याचिका की प्रति है या नहीं

(3) क्या चुनाव याचिका की उतनी प्रतियां दाखिल करने के बारे में धारा 81(3) की आवश्यकता है, जितने प्रतिवादी हैं, याचिकाकर्ता पर चुनाव याचिका के अनुबंधों की प्रतियां भी दाखिल करने का कर्तव्य अनिवार्य रूप से लगाया गया है, याचिका के मुख्य भाग की प्रतियां दाखिल करने के अलावा

(4) यदि प्रश्न संख्या (3) का उत्तर प्रतिवादी के पक्ष में है, तो प्रश्न में आवश्यकता अनिवार्य है या निर्देशिका; और

(5) यदि धारा 81(3) के लिए चुनाव याचिका की प्रतियों के हिस्से के रूप में संलग्नक की प्रतियों को दाखिल करने की आवश्यकता है, और उक्त आवश्यकता अनिवार्य है, तो क्या इस न्यायालय को धारा बीओ के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के मामले में कोई विवेक है कार्य? मैं इन सभी बिंदुओं को एक-एक करके उठाऊंगा।

(7) इसके सामान्य अर्थ में "अनुलग्नक" शब्द का अर्थ केवल "अंत में जोड़ना: जोड़ना या जोड़ना: जोड़ना: जोड़ना" है। "अनुलग्नक" वह चीज़ है जो जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है या जोड़ी जाती है, लगायी जाती है

या जोड़ दी जाती है। बैलार्ड बनाम बैनक्रॉफ्ट (1) में, यह माना गया है कि किसी प्रक्रिया को उस कागज से अलग कागज पर लिखना और हस्ताक्षर करना, जिस पर मूल याचिका फैली हुई है, और फिर प्रक्रिया वाले कागज को याचिका की तहों के भीतर शिथिल रूप से रखना, यह न्यायपालिका अधिनियम 1799 के उस प्रावधान का अनुपालन नहीं है, जिसके लिए प्रक्रिया को याचिका के साथ "संलग्न" करने की आवश्यकता होती है। यह। यह भी माना गया कि याचिका को संलग्न करने की प्रक्रिया को या तो एक ही कागज पर बढ़ाया जाना चाहिए, या, यदि एक अलग कागज पर, मोम या टेप द्वारा मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। बोसवर्थ बनाम मैथ्यूज (2) में, यह माना गया था कि शपथ पत्र को संलग्न करने की आवश्यकता का प्रथम दृष्टया इस कथन द्वारा अनुपालन किया गया था कि शपथ पत्र और बंधक एक साथ "संलग्न" थे, "संलग्न" शब्द व्यावहारिक रूप से शब्द का पर्याय है। "संलग्न"। मौजूदा मामले में, विचाराधीन दस्तावेज़ों को मूल याचिका के साथ उचित रूप से संलग्न किया गया था, इस अर्थ में कि वे अलग-अलग कागजात थे (जैसा कि उन्हें होना ही था) याचिका की प्रस्तुति के समय मुख्य याचिका के साथ बंधे हुए थे। हालाँकि, केवल यह तथ्य कि एक दस्तावेज़ या कागज़ याचिका के साथ संलग्न है, मेरी राय में, इसे सभी मामलों में आवश्यक रूप से याचिका का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी चुनाव याचिका में यह कहा गया है कि निर्वाचित उम्मीदवार ने मतदान के दिन मतदाताओं को मुफ्त ले जाने के लिए वाहनों को किराए पर लेने या खरीदने का भ्रष्ट आचरण किया है, और याचिका में कोई और विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि " प्रतिवादी ने कॉलम। में उल्लिखित वाहनों को किराए पर लिया जो नामित व्यक्तियों के थे (1) 31 गा. 503, 506 (शब्दों और वाक्यांशों। खंड III के पृष्ठ 671 पर संदर्भित) (2) 74 गा. 822 (शब्दों और वाक्यांशों का खंड 3 पृष्ठ 671 पर)। कॉलम II और कॉलम III में सूचीबद्ध ड्राइवरों द्वारा संचालित, मतदान के दिन इस याचिका के अनुबंध पी 1 के कॉलम V में नामित मतदाताओं की गाड़ी के लिए, अनुबंध आवश्यक रूप से याचिका का एक हिस्सा होगा, और याचिका की एक प्रति होगी ऐसे अनुलग्नक के बिना उसे उसकी प्रति नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर, यदि कोई चुनाव-याचिकाकर्ता अपनी याचिका के दौरान कानून के प्रस्ताव का संदर्भ देता है और कहता है कि कानून का प्रासंगिक प्रश्न पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है याचिका के साथ संलग्न उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति, अनुलग्नक पी.2 के अनुसार, यह संदिग्ध है कि क्या याचिका को ठीक से प्रस्तुत नहीं माना जाएगा यदि अनजाने में उच्च न्यायालय के फैसले को छोड़ दिया गया है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि अनुलग्नक की कमी से चुनाव याचिका अधूरी हो जाएगी या नहीं। वर्तमान मामले में चुनाव याचिका के साथ दायर की गई पांच तस्वीरों में याचिका के पैराग्राफ 4 (ए) और 4 (बी) में कथित भ्रष्ट आचरण का विवरण शामिल है। इसलिए वे तस्वीरें याचिका का आवश्यक हिस्सा बनती हैं। यदि याचिकाकर्ता ने संयोग से मूल याचिका के साथ तस्वीरें संलग्न करना

छोड़ दिया होता, तो मैं मानता कि एक अधूरी याचिका दायर की गई है। हालाँकि, सुरक्षा जमा की रसीद के संबंध में ऐसा नहीं है। धारा 117 के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि रु. चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय याचिका की लागत के लिए सुरक्षा के रूप में 2,000 रुपये जमा करना होगा। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है जिसके लिए याचिका के साथ जमा राशि की मूल रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक हो। रसीद में जो कहा गया है वह सीधे तौर पर चुनाव याचिका के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सिरी चंद गोयल ने तर्क दिया कि यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह चुनाव याचिका की प्रति के साथ रसीद की एक प्रति भी प्रस्तुत करे क्योंकि इससे प्रतिवादी को यह पता लगाने में मदद मिलती कि क्या वास्तव में सुरक्षा की अपेक्षित राशि जमा की गई थी या नहीं, और यदि हां, तो वह समय के भीतर जमा की गई थी या नहीं। हालाँकि याचिका के पैराग्राफ 8 में यह कहा गया है कि सुरक्षा जमा की मूल रसीद याचिका के साथ संलग्न है, लेकिन इसे पी. 1, पी-2, आदि के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, जैसे कि तस्वीरों को पी-1 से चिह्नित किया गया था। पी. 5. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों के दो सेटों, यानी एक तरफ तस्वीरें और दूसरी तरफ सुरक्षा जमा की रसीद के बीच इस अंतर को बनाए रखना उचित था। जबकि तस्वीरों के बिना याचिका अधूरी होती, लेकिन मेरी राय में सुरक्षा जमा की रसीद के बिना इसे किसी घातक दोष से पीड़ित नहीं माना जा सकता। मैंने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर मैं मानता हूं कि इस चुनाव याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इसके साथ अनुलग्नक पी. 1 से पी. 5 न लगाया गया हो तो इसे ठीक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(8) जहां तक मेरे द्वारा तैयार किए गए दूसरे प्रश्न का सवाल है, मेरी राय है कि कोई भी दस्तावेज या कागज जिसके बिना मूल याचिका को अधूरा माना जा सकता है, उसे आवश्यक रूप से उस याचिका की प्रति का हिस्सा होना चाहिए जो आवश्यक है अधिनियम की धारा 81(3) के तहत प्रतिवादी को प्रस्तुत किया जाएगा। सरदार मल बनाम श्रीमती में. गायत्री देवी (3), राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह माना गया कि धारा 31(3) में प्रयुक्त "याचिका" शब्द में याचिका के अनुलग्नक शामिल हैं जिनमें कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण शामिल हैं। श्री जैन ने यह तर्क देने की कोशिश की कि दायर की जाने वाली याचिका की प्रतियां केवल याचिका के मुख्य भाग की प्रतियां हैं, न कि उसके अनुलग्नक क्योंकि अनुलग्नकों को विशेष रूप से चुनाव याचिका से अलग और कुछ अलग माना गया है, जबकि उनका संदर्भ दिया गया है। धारा 83 की उपधारा (2) निम्नलिखित शब्दों में: "याचिका के किसी भी शेड्यूल या अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान ही सत्यापित किए जाएंगे।" मेरी राय में, याचिका के एक हिस्से को मुख्य याचिका की तरह ही अलग से हस्ताक्षरित और सत्यापित करने की आवश्यकता ऐसे अनुबंधों से अलग नहीं होती है जिन्हें अन्यथा व्यवहार किया जा रहा

है, यह याचिका का ही एक हिस्सा है। याचिका के पैराग्राफ 4(एआई) और 4(बी) में कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण शामिल करने के लिए फोटोग्राफ पी. 1 से पी. 5 तक की प्रतियों के रूप में मैं यह मानूंगा कि चुनाव द्वारा प्रस्तुत याचिका का विवरण -याचिकाकर्ता की जो प्रति अनुलग्नक पी.1 से पी.5 (मूल याचिका के साथ संलग्न) की प्रतियों के साथ नहीं थी, वह अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (3) के अर्थ के अंतर्गत याचिका की प्रतिलिपि नहीं थी।

(9) ऊपर मेरे द्वारा लौटाए गए प्रश्न (1) और (2) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रतिवादी के पक्ष में प्रश्न संख्या (3) का उत्तर देना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उप-द्वारा याचिकाकर्ता पर एक कर्तव्य लगाया गया है। धारा 81 की धारा (3) प्रतिवादी के लिए चुनाव याचिका की एक पूरी प्रति दाखिल करने के लिए जिसमें फोटोग्राफ पी. 1 से पी. 5 की प्रतियां शामिल हैं। (3) एआईके 1904 राज. 223

(10) इसके बाद ऊपर उल्लिखित धारा 81(3) की आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के प्रभाव का प्रश्न आता है। मामले के इस पहलू पर दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। जबकि श्री गोयल ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न में आवश्यकता अनिवार्य है, श्री जैन ने विस्तार से तर्क दिया कि प्रश्न में आवश्यकता केवल निर्देशिका है, और इसका अनुपालन न करना याचिका के लिए घातक साबित नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव याचिका को छोड़कर "ऐसे प्राधिकारी को और इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा" जो कि किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है। उपयुक्त विधायिका द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने चौधरी सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद और अन्य (4) में कहा कि एक चुनाव याचिका को कानून या इक्विटी में कार्रवाई के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि चुनाव दाखिल करने का अधिकार पूरी तरह से क़ानून का प्राणी है। प्रासंगिक कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी अन्य चुनाव पर सवाल उठाना, इसलिए, संविधान की धारा 45 में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम की धारा 80 बनाए गए कानून को संदर्भित करती है अनुच्छेद 329 (बी) के अर्थ के भीतर उपयुक्त कानूनी व्यवस्था द्वारा। धारा कहती है कि अधिनियम के भाग VI के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका को छोड़कर किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। कोई भी चुनाव याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी अधिनियम के भाग VI की आवश्यकताओं के अनुसार एक याचिका होगी जिसके परीक्षण की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 329(बी) द्वारा दी गई है। इस न्यायालय द्वारा बनाए गए "चुनाव के मुकदमे के मामले में प्रक्रिया और मार्गदर्शन के नियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1931 के भाग VI में याचिकाएं" के नियम 16 के अनुसार, न्यायालय की रजिस्ट्री को चुनाव का नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है। याचिका "याचिका की एक प्रति के साथ-साथ, अनुसूचियों और

अनुलग्नकों की प्रतियां, यदि कोई हो" याचिका में नामित प्रत्येक उत्तरदाता को। नियम 16 के तहत प्रतिवादी को जो जारी किया जाना है वह वही है जो याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 81(31) के तहत दायर किया जाना आवश्यक है। श्री बाबू राम बनाम श्रीमती में। प्रसन्नी और अन्य (5), एक चुनावी मामले के संबंध में यह माना गया था कि जहां क़ानून के लिए विशिष्ट तथ्यों को एक विशिष्ट तरीके से साबित करने की आवश्यकता होती है और यह उक्त पुनर्मूल्यांकन के गैर-अनुपालन के परिणाम का भी प्रावधान करता है, तो यह मुश्किल होगा दंड खंड के आवेदन का इस आधार पर विरोध करना कि ऐसा आवेदन तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री एन. सी. जैन ने पूर्ण पीठ के फैसले के अधिकार के आधार पर तर्क दिया (4) एक एलआर. 1951 एस.सी. 1027. (5) एएलआर. 1959 एस.सी. 93. इस न्यायालय के डॉ. अनुप सिंह बनाम अब्दुल गनी और अन्य (एल.एल.आर. 1963 (2) पी.बी. 524-ए.एल.आर. 1963 पंजाब; 429), और पर उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा का आधार डॉ. अनुप सिरघ बनाम श्री अब्दुल गनी और अन्य में अपीलीय चरण में (1966) कर्र। एल.जे. (आर.बी.) 358,), कि प्रश्न में आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। जिस दोष को डॉ.अनूप सिंह के मामले में संदर्भ यह दिया गया था कि चुनाव की प्रति अधिनियम की धारा 81(3) के तहत दायर की गई याचिका की सच्ची प्रति प्रमाणित नहीं की गई थी। याचिका पर केवल याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर थे। यह कहने के बजाय कि प्रति "याचिका की सच्ची प्रति" थी, याचिकाकर्ता ने प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर केवल हस्ताक्षर किए थे। यह उस संदर्भ में था कि उच्च न्यायालय ने माना कि प्रावधान का उद्देश्य यह था कि चुनाव याचिका के प्रतिवादी के पास याचिका की एक सच्ची प्रति होनी चाहिए ताकि वह अपना बचाव करने में सक्षम हो, और जहां चुनाव याचिका का अनुपालन किया गया हो धारा 81(3) के सभी प्रावधान, लेकिन याचिका की प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा "याचिका की एक सच्ची प्रति" के रूप में सत्यापित नहीं की गई थी, लेकिन केवल याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, याचिका खारिज नहीं की जा सकती थी। इस अर्थ में यह देखा गया कि यह आवश्यकता कि याचिका की प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका की सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित किया जाएगा, अनिवार्य नहीं है, लेकिन निर्देशिका है, और इसका पर्याप्त अनुपालन उद्देश्य को पूरा करेगा। प्रावधान का. श्री जैन डॉ. अनुप सिंह के मामले (सुप्रा) में दिए गए कानून के प्रस्ताव को चुनाव याचिका के अनुलग्नकों की प्रतियां दाखिल न करने को धारा 81 की आवश्यकता के साथ पर्याप्त अनुपालन के रूप में विस्तारित करना चाहते थे। (3). डॉ. अनुप सिंह के मामले में, आपूर्ति की गई प्रतियां संबंधित चुनाव याचिकाओं की पूर्ण और सही प्रतियां थीं। प्रत्येक प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर विशेष याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और केवल "याचिका की सच्ची प्रति" शब्द गायब थे। उस संदर्भ में मेहर सिंह, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने कहा कि संसद संभवतः इस तरह की अतितकनीकी चूक के आधार पर किसी चुनाव याचिका को सारांश रूप से खारिज करने का इरादा

नहीं कर सकती थी, और आगे कहा कि डॉ. द्वारा प्रस्तुत चरम उदाहरण .अनूप सिंह के मामले से पता चला कि याचिका की प्रतियों के प्रमाणीकरण और सत्यापन की विशेष आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, लेकिन निर्देशिका और उसके पर्याप्त अनुपालन प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जब मामला अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया तो उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उनके आधिपत्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह माना गया कि याचिका की प्रति पर याचिकाकर्ता के मूल हस्ताक्षर की उपस्थिति 67 थी। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिलिपि को सच्ची प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया था, भले ही प्रतियों में हस्ताक्षर के अलावा "सच्ची प्रतिलिपि" शब्द नहीं लिखा गया था। इसे धारा 81(30) का पर्याप्त अनुपालन माना गया। वर्तमान मामले में प्रतिलिपि पूरी नहीं थी।

(11) क्या कानून का कोई विशेष प्रावधान या ऐसे किसी प्रावधान का कोई भाग निर्देशिका है या अनिवार्य है, यह इस पर निर्भर करता है (i) प्रावधान या उसके संबंधित भाग का उद्देश्य और उद्देश्य; और (ii) और उसके गैर-अनुपालन का वैधानिक प्रभाव। याचिका की पूरी प्रति प्रदान करने का उद्देश्य याचिका के संबंध में अदालत के समक्ष उपलब्ध संपूर्ण प्रासंगिक सामग्री को प्रतिवादी के हाथों में रखना है ताकि वह प्रभावी ढंग से इसका उत्तर दे सके। गैर-अनुपालन का प्रभाव धारा 86 में दिया गया है। इन दोनों दृष्टिकोणों से मामले पर विचार करते हुए, मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि धारा 81(3) की प्रासंगिक आवश्यकता अनिवार्य है।

(12)सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय जो वर्तमान संदर्भ में सहायक प्रतीत होता है, जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह बनाम राजेंद्र कुमार पोद्दार और अन्य (8) के मामले में दिया गया था। उस मामले में मूल चुनाव याचिका और उत्तरदाताओं को दी गई प्रतियों (चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतियां) के बीच विसंगतियां थीं। यह माना गया कि यह विचलन प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं को गुमराह करने और उनके बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए बाध्य था। यह देखा गया कि किसी मामले में दलीलों का बहुत महत्व होता है और चुनाव याचिकाओं में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब निर्वाचित उम्मीदवार पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है। लौटने वाले उम्मीदवार को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या आरोप है ताकि वह अपना बचाव तैयार कर सके। यदि उसे सौंपी गई याचिका की प्रति में लगे आरोपों पर भरोसा करते हुए लौटाए गए उम्मीदवार ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र किए होते कि वह आरोप झूठा है, तो उसके बचाव का पूरा आधार धराशायी हो जाता क्योंकि बाद के चरण में उसे मिलना ही था। बिल्कुल अलग मामला. उनके आधिपत्य ने इस बात पर जोर दिया कि कानून की आवश्यकता है कि चुनाव याचिका की एक सच्ची प्रति उत्तरदाताओं को दी जानी चाहिए। प्रतियों में विसंगतियों के कारण, यह माना गया कि धारा 81(3) की आवश्यकता का या तो पूरी तरह से

या पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया गया था। इसलिए, उस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। (8) 1970 (2) एस.सी.सी. 411.

(13) अगला मामला जो सीधे मुद्दे पर है, उसका निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चौधरी सुब्बाराव के मामले (4) और जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह के मामले (8) में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं की प्रवृत्ति के अनुरूप है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रामाशंकर परमानंद बनाम जुगलकिशोर रामसहाय बाजा) और अन्य (91) में कहा कि जहां किसी चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनौती दी जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता याचिका के लिए संलग्नक की प्रतियां प्रदान करने में विफल रहता है। उत्तरदाताओं पर, प्रतियों की आपूर्ति न होने से उत्पन्न दोष याचिका की प्रस्तुति का दोष है और इसलिए इसे बाद में ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रमाशंकर की चुनाव याचिका को उपरोक्त संक्षिप्त आधार पर अधिनियम की धारा 86 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। रमाशंकर की याचिका के अनुबंध 'ए' में केवल चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या का उल्लेख किया गया था। अनुलग्नक (2) उन व्यक्तियों के नाम दर्शाने वाली एक अनुसूची थी, जिन्होंने निर्वाचित उम्मीदवार के लिए काम किया था। अनुलग्नक (3) एक अनुसूची थी जिसमें उन मतदाताओं के नाम दर्शाए गए थे जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें वोट डालने के लिए वाहनों में ले जाया गया था। मैं रमाशंकर की याचिका के प्रथम परिशिष्ट की प्रति दाखिल न करने को धारा 81(3) का उल्लंघन नहीं मानता। दूसरे अनुबंध के बारे में जो भी कहा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुबंध (3) में कथित भ्रष्ट आचरण के महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं, और इसे केवल सहायक या अनावश्यक नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसमें याचिका का एक अभिन्न अंग शामिल है। यह तर्क कि धारा 86 स्वयं याचिका को संदर्भित करती है न कि उसकी प्रतियों को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 329 में निहित संवैधानिक प्रावधान से लेकर अधिनियम और नियमों तक, चुनाव याचिका दायर करने और प्रस्तुत करने की विधि पर बहुत जोर दिया गया है। धारा 86 के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि धारा 81 के अनुपालन का उद्देश्य याचिका की वैधता और रखरखाव को नियंत्रित करना था। यह स्थापित कानून है कि एक अनिवार्य प्रावधान या वैधानिक प्रावधान का एक अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल पूरा किया जाना चाहिए और उसके पर्याप्त अनुपालन का सवाल ही नहीं उठता। धारा 81(30) द्वारा आवश्यक पूर्ण प्रतियों के बिना दायर की गई चुनाव याचिका स्वयं एक पूर्ण याचिका नहीं होगी, और इसलिए, धारा 86 द्वारा प्रभावित होगी। श्री जैन ने मध्य प्रदेश मामले और वर्तमान मामले के बीच अंतर लाने की मांग की पर मामला रामाशंकर ने चुनाव याचिका में स्पष्ट रूप से

उल्लेख किया था कि याचिका से जुड़ी अनुसूचियां स्वयं याचिका का हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं वर्तमान याचिका में यह दावा किया गया है। मुझे कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है इस आधार पर दोनों मामलों के बीच अंतर. बस इतना कह रहा हूं कि एक शेड्यूल या एक अनुलग्नक चुनाव याचिका का हिस्सा बनेगा, या ऐसा नहीं कहा जाएगा, होगा (9) एएलआर. 1969 म.प्र. 243. मेरी राय में, मुझे इस प्रश्न का निर्णायक होना चाहिए कि क्या अनुसूची या अनुलग्नक याचिका का हिस्सा हैं या नहीं। इस प्रश्न को निर्धारित करने वाले मुख्य मानदंड पर मेरे द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।

(14) श्री एस. सी. गोयल ने जिस अंतिम मामले का उल्लेख किया वह के. ब्रह्मानंद रेड्डी बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद और अन्य (24 ईएल.आर 196) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय है। चुनाव याचिका की पोषणीयता पर लौटे उम्मीदवार की आपत्ति अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर थी कि चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इसकी प्रतियां धारा 81(3) के अनुसार सही प्रतियां होने के लिए सत्यापित नहीं की गई थीं, जिसे चुनाव न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। धारा 81 (°) के परंतुक में "होगा" शब्द अनिवार्य नहीं था, बल्कि केवल हिरेक्टोरी था। लौटाए गए उम्मीदवार की रिट याचिका को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा अनुमति दी गई थी और ट्रिब्यूनल का आदेश निर्धारित किया गया था इस आधार पर कि न्यायाधिकरण ने यह मानकर कि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 81(3) का अनुपालन न करने पर खारिज होने योग्य नहीं है, रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कानूनी त्रुटि की है। श्री गोयल, इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहिए था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चौधरी सुब्बाराव के मामले (4), (सुप्राल) में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था और प्रति के गैर-सत्यापन को घातक नहीं माना गया था चुनाव याचिका.

(15) श्री जैन ने अंततः प्रस्तुत किया कि यद्यपि धारा 81 की उप-धारा (1) अनिवार्य है, उस धारा की उप-धारा (3) की आवश्यकताएँ केवल अप्रत्यक्ष हैं। जिस कानून की चर्चा ऊपर पहले ही की जा चुकी है, उसके मद्देनजर मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं।

(16) यह मुझे श्री जैन द्वारा आग्रह किए गए अंतिम बिंदु पर ले जाता है, जो मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न संख्या (5) में शामिल है। श्री जैन ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि प्रक्रिया के अति-तकनीकी नियमों का अनुपालन न करने के कारण किसी भी चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, और याचिकाकर्ता को अब प्रतिवादी को प्रश्न में संलग्नक की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने फैसले का हवाला दिया। मुरारका राधे श्याम-राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ और अन्य (11) में सुप्रीम कोर्ट के, और मुरारका राधे श्याम-राम कुमार के मामले (11) के तथ्यों के साथ तत्काल मामले की बराबरी करना चाहते थे, जिसमें इस प्रति का हर पृष्ठ लौटाए गए उम्मीदवार को दी

गई याचिका को याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर के तहत एक सच्ची प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया था, हालांकि याचिका के निचले भाग में "याचिकाकर्ता" शब्द के नीचे कोई नया हस्ताक्षर नहीं जोड़ा गया था। उन तथ्यों पर यह माना गया कि धारा 81 की उपधारा (3) में "कॉपी" शब्द का अर्थ बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रतिलिपि इतनी सच्ची होगी कि कोई भी किसी भी संभावना से इसे गलत नहीं समझ सकता है। में। मौजूदा मामले की प्रतिलिपि इतनी अधूरी है कि कोई भी गायब तस्वीरों को देखे बिना भ्रष्ट आचरण के मुख्य आरोप के निहितार्थ और विवरण को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। 5-

(17) सुब्बाराव के मामले (4) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि क़ानून किसी चुनाव याचिका के संबंध में किसी विशेष आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है, तो न्यायालय के पास अनुपालन की छूट देने की कोई शक्ति नहीं है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ मुझे मेरे सामने मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बहुत प्रासंगिक लगती हैं: "यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि धारा 90 (3) के तहत चुनाव न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार उस चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए है जो धारा 81 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, केवल तभी आकर्षित होता है जब याचिका में कोई दोष हो और वह दोष हो केवल याचिका के साथ संलग्न प्रति में धारा 81 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली याचिका का मामला नहीं होगा ताकि ट्रिब्यूनल को याचिका को खारिज करने की आवश्यकता हो या अनुमति भी दी जा सके। जब धारा 81(39) के साथ एक चुनाव याचिका की आवश्यकता होती है प्रतियों की अपेक्षित संख्या, आयोग को चुनाव याचिका की प्रस्तुति के लिए एक आवश्यकता बन जाती है, और इसलिए, चुनाव याचिका की उचित प्रस्तुति के लिए एक शर्त है। यदि यह धारा 81 की आवश्यकता है, तो कोई भेद नहीं किया जा सकता है उपधारा (1) और (2) और उपधारा (3) की आवश्यकताओं के बीच खींचा गया है। यदि धारा 81(31) के प्रावधानों का पूर्ण और पूर्ण गैर-अनुपालन है, तो चुनाव याचिका 'एक' नहीं हो सकती है के अनुरूप चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई (11) ए.जे.आर. 1964 एस.सी. 1545, अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत इस भाग के प्रावधानों के साथ। यदि उप-धारा (3) की आवश्यकता के साथ ऐसा गैर-अनुपालन हुआ होता तो न केवल धारा 85 के तहत चुनाव आयोग, बल्कि धारा 90 (3) के तहत चुनाव न्यायाधिकरण को प्रथम दृष्टया न केवल उचित ठहराया जाता, बल्कि इसकी आवश्यकता होती। चुनाव याचिका खारिज करने के लिए।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अध्याय में भी देखा था। सुब्बाराव का मामला (4) कि यदि धारा 81(3) की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है, तो चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती। किसी महत्वहीन या अप्रासंगिक चीज़ के संबंध में पर्याप्त अनुपालन का प्रश्न अधूरा होगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रति भौतिक विवरण में अधूरी है।

(18) अधिनियम की धारा 80 और 86 और संविधान के अनुच्छेद 329 की भाषा और योजना से, और अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं के सामने। सुब्बाराव के मामले (4) और जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह के मामले (8) में, मुझे इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं लगता कि यदि धारा 81(3) की वे आवश्यकताएं जो अनिवार्य हैं, किसी दिए गए मामले में अनुपालन नहीं की जाती हैं, न्यायालय के पास इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है और वह चूक को माफ नहीं कर सकता, लेकिन याचिका को खारिज कर देना चाहिए। तदनुसार, मैं प्रारंभिक मुद्दे का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में और याचिकाकर्ता के विरुद्ध करता हूं। दर्ज

(19) मेरे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, मुझे इस याचिका को लागत सहित खारिज करना चाहिए, और मैं तदनुसार आदेश देता हूं। वकील की फीस रु. 300।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा